कार्यालय, उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति, जामताड़ा।
(जिला पंचायत राज शाखा)
विज्ञापन संख्या–....07/2021/.........

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज), झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–395 दिनांक–19.02.2021 के आलोक में 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत जामताड़ा जिला के लिए पचांयतों में सेवा अनुबंध के लिए योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र0	पद का नाम	कोटिवार पदों की संख्या					कुल पद	मासिक मानदेय
		ST	SC	BC-I	BC-II	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	08	02	01	01	12	24	10,000/– प्रतिमाह

आरक्षण निति :– सेवा अनुबंध के लिए पैनल निर्माण में राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

उम्र सीमा : सेवा अनुबंध के पैनल में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना दिनांक–01.01.2021 के आधार पर की जायेगी, परन्तु वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यो का अनुभव हो उन्हें उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

1. लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर :–

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होगा।

(ii)**वांछनीय योग्यता एवं अनुभव–** संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

(i) आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन, आवेदन शुल्क एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ बंद लिफाफे में किसी भी कार्य दिवस को आवेदन हाथों–हाथ जिला पंचायत राज कार्यालय, जामताड़ा में समर्पित करेंगे। अन्य माध्यम यथा– ई–मेल, पंजीकृत डाक, कुरियर से प्रेषित आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगाः–

क्र0	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/–	सामान्य/पिछड़ा वर्ग (BC-2)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-1)
		300/–	अनुसूचित जनजाति (ST)/अनुसूचित जाति (SC)/ महिला

(iii)आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, जामताड़ा के नाम से जामताड़ा में भुगतेय हो के माध्यम से देय होगा।

(iv) आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.10.2021 अपराह्न 05:00 बजे तक है। उक्त समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी विलम्ब के लिए चयन समिति जवाबदेह नहीं होगी। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतिक्षा किये बिना ससमय आवेदन समर्पित कर दें।

(v) प्राप्त आवेदन में से मूल्यांकन उपरांत पैनल निर्माण उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया एवं मेधा सूची ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–395 दिनांक–19.02.2021 में दिये गये दिशा–निदेशों एवं समय–समय पर पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में की जायेगी।

(vi) उपर्युक्त लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों के विरूद्ध सेवा अनुबंध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–395 दिनांक–19.02.2021 में दिये गये सेवा शर्तो के अधीन होगी, उक्त अधिसूचना वेवसाईट www.jamtara.nic.in पर देखी जा सकती है।

18/10/21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 352 / जि0पं0 दिनांक 18/10/21

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिला के वेवसाइट पर अपलोड (Upload) करना सुनिश्चित करें।

18/10/21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 352 / जि0पं0 दिनांक 18/10/21

प्रतिलिपिः– निदेशक पंचायत राज निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

18/10/21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
जामताड़ा।